



अ. 208/2022
22/9/79

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1-खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 17 सितम्बर, 1979
भाद्रपद 26, 1901 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2405/सत्रह-बि०-1-80-1979
लखनऊ, 17 सितम्बर, 1979

अधिसूचना विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर स्ट्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 पर दिनांक 13 सितम्बर, 1979 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर स्ट्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान
(संशोधन) अधिनियम, 1979

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1979)
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

संयुक्त प्रांत मोटर स्ट्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्ट्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम

संयुक्त प्रांत
अधिनियम संख्या
1 सन् 1939
की धारा 5 का
संशोधन

2—संयुक्त प्रांत मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल विक्री कराधान अधिनियम, 1939 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी और दिनांक 23 अप्रैल, 1974 से रखी गयी समझी जायेगी, अर्थात्:—

“(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र पांच सौ रुपये से अनधिक की ऐसी फीस का भुगतान करने पर जो नियत की जाये, एक वर्ष या उसके भाग के लिये प्रदान या नवीकृत किया जायेगा, और जब तक कोई फीस नियत न की जाये, तब तक निम्नलिखित फीस ली जायेगी:—

	रुपये
1—आयल कम्पनियों द्वारा डिपो में मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या दोनों की विक्री के लिए	500
2—पम्पों द्वारा मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या दोनों की विक्री के लिए	250
3—उपयुक्त 1 और 2 में उल्लिखित व्यापारियों से भिन्न व्यापारियों द्वारा ड्रम या टिन में मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या दोनों की विक्री के लिए	50
4—अलकोहल की विक्री के लिए	50”

धारा 17 का
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में, खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ज) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

“(ज) अतिरिक्त फीस की, यदि कोई वसूल की गयी हो, वापसी या उसके समा-योजन की व्यवस्था करने के लिये।”

निरसन और
अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल विक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन क होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 2405 (2) /XVII-V-1-80-1979

Dated Lucknow, September 17, 1979

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Spirit, Diesel Oil Tatha Alcohol Bikri Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 32 of 1979), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 13, 1979 :

THE UTTAR PRADESH SALES OF MOTOR SPIRIT, DIESEL OIL AND ALCOHOL TAXATION (AMENDMENT) ACT, 1979

(U. P. ACT No. 32 OF 1979)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939.

IT IS HEREBY enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Act, 1979.

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 1
सन् 1979

2. In section 5 of the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939, hereinafter referred to as the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from April 23, 1974, namely :—

Amendment of section 5 of U. P. Act no. 1 of 1939.

"(3) Every registration certificate shall be granted or renewed for a year or part thereof on payment of such fee not exceeding five hundred rupees as may be prescribed, and until fee is prescribed, the following fee shall be charged :—

- | | |
|--|-------------|
| 1. For sale of motor spirit or diesel oil or both in depots by oil companies. | Rs. ... 500 |
| 2. For sale of motor spirit or diesel oil or both through pumps. | .. 250 |
| 3. For sale of motor spirit or diesel oil or both in drums or tins by dealers other than those mentioned in 1 and 2 above. | ... 50 |
| 4. For sale of Alcohol. | ... 50 |

3. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (g), the following clause shall be inserted, namely :—

Amendment of section 17.

"(h) providing for refund or adjustment of excess fee, if any realized".

Ordls. no. 19 of 1979.

4. (1) The Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Ordinance, 1979 is hereby repealed.

Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.